[2019] 12 एस. सी. आर 678

जिग्नेश शाह और एएनआर।

वी.

भारत संघ और ए. एन. आर.

(2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 455)

सितंबर 25,2019

[आर. एफ. नरीमन, आर. सुभाष रेड्डी

और सूर्या कान्ट, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: एस. 238 ए-सीमा-धारा 7 के तहत आवेदनों पर सीमा अधिनियम, 1963 का अनुप्रयोग

आई. बी. सी.-2009 में एम. सी. एक्स., एम. सी. एक्स. ई. और वित्तीय सेवा कंपनी के बीच शेयर खरीद समझौते का निष्पादन।

सर्विसेज कंपनी ने एमसीएक्स से एमसीएक्स-ई के इक्विटी शेयर खरीदने पर सहमति व्यक्त की-इसके अनुसार, एमसीएक्स की एक समूह कंपनी एलएफ ने जारी किया

वित्तीय सेवा कंपनी को एक 'वचन पत्र'

एमसीएक्स-एसएक्स के शेयरों की खरीद एक वर्ष की अवधि के बाद, लेकिन तीन वर्ष की अवधि से पहले, उक्त अवधि के निवेश की समाप्ति की तारीख से-2012 में वित्तीय सेवा कंपनी ने प्रयोग किया

एल. एफ. द्वारा वचन पत्र का विशिष्ट प्रदर्शन-उच्च न्यायालय ने मुकदमे के निपटारे तक एल. एफ. को अपनी संपत्तियों को अलग करने से रोककर एक निषेधाज्ञा आदेश पारित किया-2016 में, वित्तीय सेवा कंपनी ने एल. एफ. यू/एस. के खिलाफ समापन याचिका दायर की। 433 (ई) में उच्च न्यायालय-हालाँकि, आई. बी. सी., 2016 की शुरुआत के कारण, समापन याचिका को एन. सी. एल. टी. को एक आवेदन के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। 7 - एन. सी. एल. टी. ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि एल. एफ. के शेयरधारकों की अपील-जिसे एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा खारिज कर दिया गया है-सीमा की सीमा को आकर्षित नहीं करती है।

- अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः समापन याचिका दायर करने के लिए सीमा के उद्देश्य के लिए ट्रिगर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट की तारीख होगी

ऋण का भुगतान-हालांकि यह स्पष्ट है कि समापन की कार्यवाही एक 'इन रेम' कार्यवाही है न कि वसूली की कार्यवाही, समापन याचिका के लिए सीमा का ट्रिगर चूक की तारीख होगी-तथ्यों पर, 03.11.2015 पर दी गई वैधानिक सूचना

678 जिग्नेश शाह और एएनआर। वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

एल. एफ. सांविधिक सूचना की वाणिज्यिक दिवालियापन के रूप में किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं करता है, केवल दिसंबर 2013 में कंपनी की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा मुकदमे की कार्यवाही और कुर्की को संदर्भित करता है। न तो दिवालियापन का अनुरोध किया गया है और न ही तथ्यों पर-प्रपत्र-1 में, एन. सी. एल. टी. को समापन कार्यवाही के हस्तांतरण पर, चूक की तारीख 19.08.2012 है; यह स्पष्ट करते हुए कि उस तारीख से तीन साल पहले

2016 में समापन याचिका दायर किए जाने के लंबे समय बाद इस प्रकार, समापन याचिका सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 में उल्लिखित तीन साल की अवधि से परे होने के कारण समय-वर्जित है, और इसलिए इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है-एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित निर्णय और एन. सी. एल. टी. के फैसले को दरकिनार कर दिया गया-सीमा

अधिनियम, 1963-अनुच्छेद 137-कंपनी अधिनियम, 1956। 433 और 434।

2019) , न्यायालय पकड़नाः 1.1 कार्रवाई के कारण के आधार पर वसूली के लिए एक मुकदमा जो सीमा के भीतर है, किसी भी तरह से अलग को प्रभावित नहीं कर सकता है।

और एक समापन कार्यवाही का स्वतंत्र उपचार। कानून में, जब समय चलना शुरू होता है, तो इसे केवल इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है

सीमा अधिनियम में उपबंधित। उदाहरण के लिए, सीमा की धारा 18 के तहत दायित्व की स्वीकृति। अधिनियम निश्चित रूप से सीमा अवधि का विस्तार करेगा, लेकिन वसूली के लिए एक मुकदमा, जो कि समापन के उपचार से अलग एक अलग और स्वतंत्र कार्यवाही है, किसी भी तरह से उस सीमा को प्रभावित नहीं करेगा जिसके भीतर समापन की कार्यवाही को लागू किया जाता है।

परिसमापन कार्यवाही के उद्देश्य से किसी तरह ऋण को जीवित रखते हुए दाखिल किया जाना। [पैरा 19] [701-बी-डी]

1.2 वित्तीय सेवा कंपनी ने पीछा किया

जून, 2013 में वचन पत्र के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एल. एफ. के खिलाफ मुकदमा दायर करके अगस्त, 2012 में उत्पन्न हुई कार्रवाई का कारण उचित परिश्रम। उक्त पक्ष की अपनी निष्क्रियता या अड़चनों से जो कुछ खो गया है, वह है उक्त याचिका दायर करने के लिए ट्रिगर होने के लंबे समय बाद समापन याचिका दायर करना; ट्रिगर वह ऋण है जो वित्तीय सेवाओं के कारण बन गया, जिसके पुनर्भुगतान में चूक हुई है। [पैरा 21] [703-डी-ई] [2019] 12 एस. सी. आर.

1.3 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) और धारा 434 को पढ़ने से पता चलता है कि

कंपनी को इस तरह से देय राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, और कंपनी को इसके बाद तीन सप्ताह के लिए "राशि का भुगतान करने की उपेक्षा" करनी होती है, या इसके लिए उचित संतुष्टि के लिए सुरक्षित या चक्रवृद्धि करनी होती है। लेनदार "। भुगतान करने में लापरवाही केवल देय राशि का भुगतान करने में चूक पर उत्पन्न होगी, जो स्पष्ट रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर एक निश्चित तिथि होगी। समान रूप से दूसरी स्थिति में, यदि निष्पादन या अन्य प्रक्रिया कंपनी के लेनदार के पक्ष में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के डिक्री या आदेश पर जारी की जाती है, और पूरी तरह से या आंशिक रूप से असंतुष्ट रूप से वापस की जाती है, तो

कम्पनी अपन ऋण चुकयबामे असमर्थ अछि। ट्रिगर प्वाइंट वह तारीख होती है जिस दिन चूक की जाती है, जिसके कारण कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होती है। यह फिर से एक निश्चित तिथि है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर साबित किया जा सकता है। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 के साथ पठित धारा 433 (ई) से पता चलेगा कि कि धारा 433 (ई) के तहत समापन याचिका दायर करने के लिए सीमा के उद्देश्य के लिए ट्रिगर पॉइंट की तारीख होगी

तीनों स्थितियों में से किसी में भी ऋण के भुगतान में चूक धारा 434 में उल्लिखित है। [पैरा 22] [704-डी-एच; 705-ए]

1.4 परिसमापन याचिका में कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया है कि कंपनी ने अपना आधार खो दिया है, इस अर्थ में कि भविष्य में कभी भी लाभ कमाने की कोई उचित संभावना नहीं है, और न ही यह कहा जा सकता है कि कंपनी ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया था और इसलिए वह अपने बकाया को पूरा करने में असमर्थ है। दूसरी ओर, जो सामने आता है, वह यह है कि किसी कंपनी के लिए यह कहना खुला नहीं है कि ऋण निर्विवाद है, कि उसके पास ऋण का भुगतान करने की क्षमता है, लेकिन वह ऋण का भुगतान नहीं करेगी। समान रूप से, जहां ऋण स्पष्ट रूप से बकाया है, लेकिन ऋण की सटीक राशि विवादित है, कंपनी को जिग्नेश शाह और ए. एन. आर. का भुगतान करने में असमर्थ माना जाएगा।

उनके ऋण। प्रत्येक मामले में यह देखना होगा कि क्या ऋण वास्तविक रूप से विवादित है। यदि ऐसा है, तो बिना अधिक के, एक समापन याचिका खारिज कर दी जाएगी। इस स्तर पर एक और बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सीमा के लिए ट्रिगर एक कंपनी की अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता है। निस्संदेह, यह ट्रिगर तब होता है जब कोई चूक होती है, जिसके बाद ऋण बकाया रहता है और उसका भुगतान नहीं किया जाता है। यह केवल यह तिथि है जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है

समापन याचिका दायर करने के लिए सीमा को ट्रिगर करना।

हालांकि यह स्पष्ट है कि समापन की कार्यवाही एक 'इन रेम' कार्यवाही है न कि वसूली की कार्यवाही, लेकिन जहां तक समापन याचिका का संबंध है, सीमा का कारण चूक की तारीख होगी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 (1) (सी) के तहत आने वाले मामलों में वाणिज्यिक शोधन क्षमता के बारे में सवाल उठते हैं, जहां ऋण को पहले साबित किया जाना है, जिसके बाद न्यायालय अन्य लेनदारों की इच्छाओं और समग्र रूप से कंपनी की वाणिज्यिक शोधन क्षमता पर विचार करेगा। जिस स्तर पर न्यायालय, इसलिए, जाँच करता है कि क्या कंपनी है

व्यावसायिक रूप से दिवालिया तब होता है जब वह योग्यता के आधार पर प्रवेश के लिए समापन याचिका पर सुनवाई शुरू कर देता है। सीमा संलग्न है जहाँ तक धारा 433 (ई) के तहत दायर याचिकाओं का संबंध उस स्तर पर है जब चूक होती है, इस स्तर पर ऋण देय हो जाता है। इस कारण से, यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई का कारण

सीमा के प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक दिवालियापन या कंपनी के आधार का नुकसान शामिल होगा। [पैरा 25] [706-जी-एच; 707-ए-ई]

1.5 सॉफ्टसुल (पी) लिमिटेड, री कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ए) के तहत दायर याचिकाओं को बंद करने पर कानून बताता है, प्राथमिक परीक्षण यह है कि एक समापन याचिका ऋण के भुगतान को लागू करने की मांग करने का एक वैध साधन नहीं है जो कंपनी द्वारा प्रामाणिक रूप से विवादित है। इस तरह के विवाद के बिना, याचिका को स्वीकार किया जा सकता है। समान रूप से, जहां ऋण प्रामाणिक रूप से विवादित है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 (1) (ए) के अर्थ के भीतर 'भुगतान करने में उपेक्षा' नहीं की जा सकती है ताकि डीमिंग प्रावधान तब लागू न हो। इसके अलावा, जिस क्षण एक प्रामाणिक विवाद होता है, तब ऋण 'देय' नहीं होता है। उच्च न्यायालय भी सही ढंग से सराहना करता है कि क्या कंपनी है

यह निर्धारित करने के लिए कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम है या नहीं, व्यावसायिक रूप से विलायक एक विचार है। [पैरा 28] [709-डी-एफ] [2019] 12 एस. सी. आर.

सॉफ्टसुल (पी) लिमिटेड, री (1977) 47 कॉम्प कैस 438 (बम)

स्वीकृत किया गया।

1.6 यहां तक कि इस मामले के तथ्यों पर भी, समापन याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी कंपनी को अल्टीमेटम

कि प्रत्यर्थी कंपनी कानूनी रूप से 7 जनवरी, 2013 को वचन पत्र की शर्तों के अनुसार आवश्यक शेयर खरीदने के लिए बाध्य थी। इस तारीख तक, धारा के तहत याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण

433 (ई) निश्चित रूप से उत्पन्न हुआ। इसके अलावा, 3 नवंबर, 2015 को दिए गए वैधानिक नोटिस में एल. एफ. की वाणिज्यिक दिवालियापन के बारे में किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। वैधानिक सूचना केवल ईओडब्ल्यू द्वारा मुकदमे की कार्यवाही और कुर्की को संदर्भित करती है जो बहुत पहले दिसंबर 2013 में हुई थी। परिसमापन याचिका में ही, जिसका उल्लेख किया गया है, वह अक्टूबर, 2016 तक एल. एफ. की परिसंपत्तियों में लगभग 200 करोड़ रुपये की गिरावट है, जो फिर से 3 नवंबर, 2015 से संबंधित नहीं है, जिस तारीख को वैधानिक नोटिस जारी किया गया था। यह फिर से केवल अदालत के एक अधिकारी को आधिकारिक परिसमापक के रूप में नियुक्त करने के उद्देश्य से है ताकि दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन किया जा सके और अन्यथा प्रतिवादी कंपनी की संपत्तियों को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। याचिका में ऐसा कोई कथन नहीं है कि इन या अन्य तथ्यों के कारण कंपनी का आधार गायब हो गया है, या यह कि कंपनी अन्यथा व्यावसायिक रूप से दिवालिया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि तथ्यों पर भी, कंपनी का आधार गायब होने या कंपनी की वाणिज्यिक दिवालियापन का अनुरोध नहीं किया गया है। जबकि, प्रपत्र-1 में, एन. सी. एल. टी. को समापन कार्यवाही के हस्तांतरण पर, जो सही कहा गया है वह यह है कि चूक की तारीख 19 अगस्त, 2012 है; यह स्पष्ट करते हुए कि उस तारीख से तीन साल बहुत पहले बीत चुके थे जब धारा 433 (ई) के तहत समापन याचिका 21 अक्टूबर, 2016 को दायर की गई थी। [पैरा 29,30] [709-जी-एच; 710-ए-डी]

1.7 21 अक्टूबर, 2016 को दायर की गई समापन याचिका सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 में उल्लिखित तीन साल की अवधि से परे है और इसलिए इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार, एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित फैसले और एन. सी. एल. टी. के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 31] [710-ई-एफ]

राजेंद्र सिंह और ओआरएस। वी. सांता सिंह और ओआरएस।

(1973) 2 एससीसी 705: [1974] 1 एस. सी. आर. 381 पर भरोसा किया।

जिग्नेश शाह और एएनआर। वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड वी. पराग गुप्ता और

एसोसिएट्स (2018) एससीसी ऑनलाइन 1921; एम. पी स्टील

निगम बनाम। सीसीई (2015) 7 एससीसी 58; हरिओम

फायरस्टॉक लिमिटेड बनाम। सुंजल इंजीनियरिंग प्रा. लि. (1999) 96 कम्प. कैस 349; फेरो मिश्र धातु निगम

लिमिटेड वी. राजहंस स्टील लिमिटेड (2000) कम्प कैस 426; रामेश्वर प्रसाद केजरीवाल एंड संस लिमिटेड बनाम एम/एस।

गारोडिया हार्डवेयर स्टोर (2002) 108 कम्पैक्ट कैस 187 ; डॉ. दीपांकर चक्रवर्ती बनाम इलाहाबाद बैंक और अन्य।

(2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 8742; इंडो अल्यूसिस इंडस्ट्रीज

वी. एसेटेक कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (2009) 110 डी. आर. जे. 384

; मेसर्स मधुसूदन गोरधनदास एंड कंपनी v. मधु

वूलन इंडस्ट्रीज प्रा. लि. लिमिटेड (1971) 3 एस. सी. सी. 632: [1972]

2 एस. सी. आर. 201; प्रदेश औद्योगिक और निवेश

यू. पी. निगम बनाम नॉर्थ इंडिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और एन. आर. (1994) 3 एस. सी. सी. 328; मेडिक्विप सिस्टम (पी)

लिमिटेड वी. प्रॉक्सिमा मेडिकल सिस्टम जीएमबीएच (2005) 7 एससीसी

42 [2005] 2 एससीआर 1015; पुनः मेसर्सः भीमजी नानजी और कंपनी (1969) Mh.L.J. 827-संदर्भित।

स्टेट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ रीजेंट्स

यॉर्क एट। अल। वी. मैरी टोमानियो 100 एस. सी. टी. 1790 ; मार्टिजा

अलामो-होर्नेडो बनाम। जुआन कार्लोस पुइग और जोस पेरेज़

रिया 745 एफ. 3 डी 578; री कार्नोस प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड। (1989) 5 बी. सी. सी. 14-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन 1921

संदर्भित किया गया है

पैरा

5

(2000) कम्प कैस 426

संदर्भित किया गया है

पैरा

12

(1999) 96 कम्प. कैस 349

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

(2000) कम्प कैस 426

संदर्भित किया गया है

पैरा

12

(2002) 108 कम्प कैस 187

पैरा

13

संदर्भित किया गया है

(2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 8742

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

(2009) 110 डी. आर. जे 384

संदर्भित किया गया है

पैरा

15

(1969) Mh.L.J. 827

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

[1974] 1 एससीआर 381

उस पर भरोसा करें

[1972] 2 एससीआर 201

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[1994] 1 एससीआर 815

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

[2005] 2 एससीआर 1015

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

(1977) 47 कम्प कैस 438

पै

रा 28

मंजूरी मिल गई।

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णयः लिखें।

2019 की याचिका (सिविल) संख्या 455।

के साथ टी . पी (ग) 2019 का सं. 817, डब्ल्यू. पी. (ग) 2019 की सं. 645, सी. ए. सं.

7618-7619 2019 की डायरी संख्या 13468।

डॉ. ए. एम. सिंघवी, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राजीव रहेजा,

सुश्री लिज़ मैथ्यू, महेश अग्रवाल, अरविंद लखावत, अंकुर सहगल, हिमांशु सतीजा, सुश्री प्रियंका वोरा, ई. C.Agrawala, शिशिर एस. दिवतिया समर कचवाहा, सुश्री डेंड्री निओगी, सुश्री सी. परवानी, नवनीत आर., सुश्री सुनाली जैन, सुश्री नमीशा चड्ढा, सुश्री प्रिथा सूरी, निशांत राव, सुश्री दीक्षा राय, सुश्री पलक महाजन, वैभव मनु श्रीवास्तव, अनीश आर. शाह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

डब्ल्यू. पी. (C) 2019 का No.645

1. 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.645 में शामिल मुद्दे हैं -

2019 की रिट याचिका (सिविल) No.455 और इसके अन्य संबंधित मामलों से पूरी तरह से अलग है। इस रिट याचिका को तदनुसार 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.455 से हटा दिया गया है। रजिस्ट्री को इस रिट याचिका को अलग से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।

डब्ल्यू. पी. (ग) 2019 की No.455 और सिविल अपील (2019 की डायरी No.16521)

2. देरी को माफ कर दिया जाता है। दीवानी अपील (2019 की डायरी संख्या 16521)

स्वीकार किया जाता है।

3. 2019 की लिखित याचिका (सिविल) No.455 और सिविल अपील (डायरी)

2019 का सं. 16521) श्री जिग्नेश शाह और श्रीमती द्वारा दायर किया गया है। क्रमशः पुष्पा शाह, जो दोनों ला-फिन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट के शेयरधारक हैं। लिमिटेड (इसके बाद "ला-फिन") राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, मुंबई पीठ (इसके बाद जिग्नेश शाह और ए. एन. आर.) के आदेश को लागू करता है।

"एन. सी. एल. टी". के रूप में संदर्भित) आई. एल. एंड एफ. एस. फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके बाद "आई. एल. एंड एफ. एस". के रूप में संदर्भित) द्वारा ला-फिन के खिलाफ बॉम्बे में उच्च न्यायालय (इसके बाद "बॉम्बे उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित) के समक्ष दायर एक समापन याचिका को स्वीकार करते हुए, जिसे एन. सी. एल. टी. को स्थानांतरित कर दिया गया था और फिर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) के तहत धारा 7 आवेदन के रूप में सुनवाई की गई थी। 4. 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.455 और उससे जुड़े संकीर्ण विवाद की सराहना करने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य

मामले इस प्रकार हैं:

(i) 20 अगस्त, 2009 को मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (इसके बाद "एमसीएक्स" के रूप में संदर्भित), एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (इसके बाद "एमसीएक्स-एसएक्स" के रूप में संदर्भित) और आईएल एंड एफएस के बीच एक शेयर खरीद समझौता किया गया था, जिसके तहत आईएल एंड एफएस ने एमसीएक्स से एमसीएक्स-एसएक्स के 442 लाख इक्विटी शेयर खरीदने पर सहमति व्यक्त की थी।

(ii) इस समझौते के अनुसार, ला-फिन, एक समूह कंपनी के रूप में

एम. सी. एक्स. ने 20 अगस्त, 2009 को आई. एल. एंड एफ. एस. को एक 'वचन पत्र' जारी किया (जिसे इसके बाद 'वचन पत्र' के रूप में संदर्भित किया गया है)।

उपक्रम) यह कहते हुए कि ला-फिन या इसके नियुक्त नामांकित व्यक्ति आई. एल. एंड. एफ. एस. से एम. सी. एक्स. एस. एक्स. के शेयरों को एक वर्ष की अवधि के बाद, लेकिन निवेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि से पहले खरीदने की पेशकश करेंगे। तथ्यों पर, इस अवधि के

तीन साल अगस्त, 2012 में समाप्त हो गए।

(iii) इसलिए आई. एल. एंड. एफ. एस. ने अपने 3 अगस्त, 2012 के पत्र द्वारा एम. सी. एक्स.-एस. एक्स. में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के अपने विकल्प का प्रयोग किया और ला-फिन से वचन पत्र के अनुसार इन शेयरों को खरीदने का आह्वान किया। 16 तारीख को

अगस्त, 2012 में ला-फिन ने जवाब दिया कि यह किसी भी कानूनी या कानूनी प्रावधान के तहत नहीं था।

उपरोक्त शेयरों को खरीदने के लिए संविदात्मक दायित्व।

(iv) इसके बाद, पक्षों के बीच पत्राचार जारी रहा, अंत में 19 जून, 2013 को, आई. एल. एंड. एफ. एस. ने ला-फिन द्वारा वचन पत्र के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए या वैकल्पिक रूप से, हर्जाने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में 2013 का मुकदमा दायर किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वाद के लिए कार्रवाई का कारण-जैसा कि शिकायत में कहा गया है-16 अगस्त को उत्पन्न हुआ,

2012 , अर्थात् जिस दिन ला-फिन ने कथित रूप से वचन पत्र के तहत अपने दायित्व का सम्मान करने से इनकार कर दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13 अक्टूबर, 2014 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक निषेधाज्ञा आदेश पारित किया

ला-फिन मुकदमे के निपटारे तक अपनी संपत्तियों को अलग करने से, ला-फिन की संपत्तियों की कुर्की के अधीन जो मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई थी।

मुकदमा लंबित रहने के दौरान पुलिस (इसके बाद "ईओडब्ल्यू" के रूप में संदर्भित)। इस आदेश के खिलाफ एक अपील को बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने 11 सितंबर, 2015 को खारिज कर दिया था। 3 नवंबर, 2015 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 और 434 के तहत आई. एल. एंड. एफ. एस. द्वारा ला-फिन को एक वैधानिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें ई. ओ. डब्ल्यू. द्वारा कुर्की का उल्लेख किया गया था, और कहा गया था कि ला-फिन स्पष्ट रूप से आई. एन. आर. <आई. डी1>, 000/- की राशि का भुगतान करने के लिए कोई वित्तीय स्थिति में नहीं था, जो आई. एल. एंड. एफ. एस. के अनुसार, 31 अक्टूबर, 2015 तक उन्हें देय था। 18 नवंबर, 2015 को, ला फिन द्वारा लंबित मुकदमे का उल्लेख करते हुए उपरोक्त नोटिस का तुरंत जवाब दिया गया था, और इस तथ्य पर पूरी तरह से विवाद किया गया था कि कोई भी राशि देय और देय थी। जवाब में आगे कहा गया कि ला-फिन अन्यथा व्यावसायिक रूप से सही था और कंपनी अधिनियम की धारा 433 और 434 के तहत जारी वैधानिक नोटिस,

1956 यह केवल एक दबाव रणनीति थी।

संहिता के तहत आवेदन। इन नियमों के तहत वैधानिक प्रपत्र, अर्थात् प्रपत्र-1, आई. एल. एंड. एफ. एस. द्वारा भरा गया था, जो दर्शाता है कि चूक की तारीख 19 अगस्त, 2012 थी। 28 अगस्त, 2018 को, उक्त समापन याचिका को एन. सी. एल. टी. द्वारा संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसमें शेयर खरीद समझौते और वचन पत्र को पढ़ने पर कहा गया था कि

वास्तव में, ऋण ला-फिन द्वारा वहन किया गया था।

राष्ट्रीय ज्ञान शाह और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद संदर्भित) "एन. सी. एल. ए. टी". के रूप में) दिनांक 21 जनवरी, 2019 के एक आदेश द्वारा उपरोक्त प्रवेश आदेश के खिलाफ श्री जिग्नेश शाह द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया, एन. सी. एल. टी. के साथ सहमति व्यक्त करते हुए कि उपरोक्त लेनदेन के अर्थ के भीतर आएगा

" संहिता के तहत "वित्तीय ऋण", और यह कि सीमा की सीमा को आकर्षित नहीं किया जाएगा क्योंकि समापन याचिका उस तारीख के तीन साल के भीतर दायर की गई थी जिस दिन संहिता लागू हुई थी, अर्थात। , 1 सेंट दिसंबर, 2016।

(x) श्रीमती द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी। संहिता के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए, जिनसे हम सीधे तौर पर संबंधित नहीं हैं, इन आदेशों के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में पुष्प शाह। संहिता के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता के साथ-साथ एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के आदेशों को चुनौती देते हुए 4 अप्रैल, 2019 को इस न्यायालय में 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.455 दायर की गई थी, जिसके बाद संहिता की धारा 62 के तहत एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश के खिलाफ सिविल अपील (2019 की डायरी संख्या 16,521) भी दायर की गई थी।

5. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं/अपीलार्थियों की ओर से पेश होते हुए, मामले के गुण-दोष में नहीं गए, बल्कि आई. एल. एंड. एफ. एस. के खिलाफ केवल सीमा की वैधानिक सीमा को उठाया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट में इस अदालत के फैसले के बाद। लिमिटेड वी. पराग गुप्ता और एसोसिएट्स 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन 1921, यह स्पष्ट है कि सीमा अधिनियम, 1963 (इसके बाद "सीमा अधिनियम" के रूप में संदर्भित) संहिता के तहत दायर किए गए सभी धारा 7 आवेदनों पर लागू होगा। और यह कि अवशिष्ट अनुच्छेद, अर्थात सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 इस मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित होगा। चूंकि एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित की गई समापन याचिका 21 अक्टूबर, 2016 को दायर की गई थी, यानी निर्धारित तीन साल की अवधि से आगे (क्योंकि अगस्त, 2012 में कार्रवाई का कारण सामने आया था), यह स्पष्ट है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के तहत दायर एक समय-वर्जित समापन याचिका है।

ऐसी याचिका के हस्तांतरण के आधार पर समय के भीतर दायर की गई संहिता के तहत धारा 7 याचिका को अचानक पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। वे बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर बहुत अधिक निर्भर थे। लिमिटेड (ऊपर), जो उनके अनुसार, इस मामले को सभी चौकों पर शामिल करता है। इसके अलावा, उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसलों, संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसलों पर भरोसा किया। अमेरिका, और एक अंग्रेजी निर्णय इस प्रस्ताव को पुष्ट करने के लिए कि [2019] 12 एस. सी. आर.

केवल विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर करने से किसी भी तरह से समापन याचिका के लिए सीमा अवधि प्रभावित नहीं होगी, जो एक अलग याचिका के रूप में है।

और स्वतंत्र उपचार, गिरना चाहिए या अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कड़ी मेहनत से हमें धारा 433 के तहत वैधानिक नोटिस भी दिया।

और आई. एल. एंड. एफ. एस. द्वारा भेजे गए 434 के साथ-साथ आई. एल. एंड. एफ. एस. द्वारा दायर समापन याचिका

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी आई. एल. एंड. एफ. एस. की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण और दायर की गई समापन याचिका के लिए कार्रवाई का कारण अलग और अलग था। उन्होंने तर्क दिया कि यह अच्छी तरह से तय है कि ऋण की वसूली के लिए समापन याचिका दायर नहीं की जा सकती है, लेकिन यह एक कार्यवाही है जिसमें कंपनी की वाणिज्यिक दिवालियापन शामिल है जिसे समाप्त करने की मांग की गई है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, समापन याचिका दायर करने का कारण केवल 2015/2016 में उत्पन्न हुआ, जब श्री जिग्नेश शाह (हमारे सामने याचिकाकर्ता) को गिरफ्तार किया गया था; ला-फिन की संपत्तियों की कुर्की के बाद; और जैसा कि समापन याचिका में कहा गया है, ला-फिन की संपत्ति 2013 में लगभग 1000 करोड़ रुपये से गिरकर अक्टूबर 2016 में केवल 200 करोड़ रुपये हो गई थी। उन्होंने इस तर्क का समर्थन करने के लिए कई निर्णयों पर भरोसा किया। उनके अनुसार, आई. एल. एंड एफ. एस. द्वारा 19 जून, 2013 को वचन पत्र के विशिष्ट निष्पादन के लिए दायर किए गए मुकदमे ने उनके मुवक्किल के ऋण को जीवित रखा और इसलिए, किसी भी स्थिति में, इस तरह के ऋण को जीवित रखने के बाद दायर की गई समापन याचिका समय पर होगी, भले ही यह बाद में दायर की गई हो। सूट के बाद की अवधि। उनके अनुसार, किसी भी स्थिति में, सीमा तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न होने के कारण, इस मिश्रित प्रश्न पर निर्णय के लिए मामले को एन. सी. एल. टी. को भेजा जाना चाहिए।

7. पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद, पहले बी. के. एजुकेशनल में इस न्यायालय के फैसले का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है।

सर्विसेज प्रा. लिमिटेड (उपर्युक्त) जिसमें संहिता की धारा 238 ए का उल्लेख किया गया था, जिसमें निम्नानुसार कहा गया हैः

" 238 ए. सीमा। सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी जिग्नेश शाह और ए. एन. आर. के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होंगे।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण

वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो "।

8. उक्त निर्णय के पैराग्राफ 7 में मार्च, 2018 की वेन्सी लॉ कमेटी की रिपोर्ट का उल्लेख इस प्रकार किया गया थाः

" 7. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, पहले अनुभाग की शुरुआत का कारण निर्धारित करना महत्वपूर्ण है

238 कोड में ए। यह रिपोर्ट में पाया जाता है

मार्च, 2018 की दिवाला विधि समिति इस प्रकार हैः " 28. सीमा आवेदन अधिनियम, 1963

28.1 एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के कई निर्णयों में संहिता पर सीमा अधिनियम, 1963 ("सीमा अधिनियम") के लागू होने के सवाल पर विचार-विमर्श किया गया है। इस विषय पर मौजूदा न्यायशास्त्र इंगित करता है कि यदि कोई कानून एक पूर्ण संहिता है, तो सीमा का एक स्पष्ट या आवश्यक बहिष्करण

अधिनियम का सम्मान किया जाना चाहिए। 1 इस संबंध में भ्रम के आलोक में, समिति ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि संहिता का उद्देश्य समय की पाबंदी वाले ऋणों को नया जीवन देना नहीं हो सकता था। यह तय किया गया कानून है कि जब किसी ऋण पर समय की पाबंदी होती है, तो उपचार का अधिकार समय की पाबंदी होता है। 2 इसके लिए संहिता में 'ऋण' और 'दावा' की परिभाषा के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा, समापन कार्यवाहियों में ऋण

इसे समय-बाधित नहीं किया जा सकता है, और संहिता में कानून के इस सिद्धांत के विस्तार को बाहर करने का कोई तर्क प्रतीत नहीं होता है।

28.2 इसके अलावा, सीमा पर कानून के लागू न होने से निम्नलिखित समस्याएं पैदा होती हैंः सबसे पहले, यह वित्तीय और परिचालन ऋणदाताओं के अधिकार को फिर से खोलता है जो समय-प्रतिबंधित ऋण रखते हैं। सी. आई. आर. पी. के लिए दायर करने के लिए सीमा अधिनियम, जिसके लिए एक लाख रुपये से अधिक के ऋण पर चूक होती है। सीमा कानून का उद्देश्य "लंबे समय तक समानता और न्याय में जो हासिल किया जा सकता है, उसकी गड़बड़ी या वंचितता को रोकना है।

आनंद या जो किसी पार्टी के अपने द्वारा खो दिया गया हो सकता है

निष्क्रियता, लापरवाही या रुकावटें "4. हालांकि कोड एक नहीं है ऋण वसूली कानून, 'ऋण के भुगतान में चूक' होने के कारण सीमा विरोधी कानून के बहिष्करण को सहज ज्ञान युक्त बनाता है। दूसरा, यह दावेदारों के आई. आर. पी./आर. पी. के साथ समय-वर्जित दावे दायर करने के अधिकार (सार्वजनिक सूचना जारी करने के अनुसार) को फिर से खोलता है, जो संभावित रूप से समाधान योजना का एक हिस्सा हो सकता है।

समाधान योजना पुनर्गठन समय-वर्जित ऋण और दावे हो सकते हैं

संहिता की धारा 30 (4) के अनुसार बल। 28.3 यह देखते हुए कि इरादा कोड को नए रूप में पैकेज करने का नहीं था

लेनदारों और दावेदारों के लिए अवसर जिन्होंने अपना उपयोग नहीं किया

निर्धारित सीमा अवधि के भीतर मौजूदा कानूनों के तहत उपचार, समिति ने आवेदन करते हुए एक विशिष्ट खंड सम्मिलित करना उचित समझा

संहिता के लिए सीमा अधिनियम। के तहत प्रासंगिक प्रविष्टि

निगमित आवेदक, क्योंकि ये आवेदक द्वारा शुरू किए गए हैं सी. आई. आर. पी. के उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के ऋण और रूप में नहीं हैं

एक लेनदार के उपाय का "।

(जोर दिया गया)

9. कंपनियों के नियम 5 का उल्लेख करने के बाद (का हस्तांतरण)

कार्यवाहियां) नियम, 2016 में, न्यायालय ने एम. पी. स्टील कॉर्पोरेशन बनाम में आई. डी. जी. एम. से अंश निकाले। सीसीई (2015) 7 एससीसी 58

और निष्कर्ष निकालाः

" 20. इस निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि सीमा,

प्रकृति में प्रक्रियात्मक, आमतौर पर पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा,

सिवाय इसके कि सीमा का नया कानून एक को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है

मृत उपचार। यह एक नए कानून के संदर्भ में कहा गया था

सीमा की एक लंबी अवधि के लिए प्रदान करने वाली सीमा जो थी पहले प्रदान किया गया। वर्तमान मामले में, ये अवलोकन हैं -

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जो अभिनिर्धारित किया गया है, उसे देखते हुए उपयुक्त। एक आवेदन जो 2016 या 2017 में कोड के बाद दायर किया गया है

लागू हो जाता है, अचानक एक ऋण को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है जो अब नहीं है

देय है क्योंकि यह समय-बाधित है।

21. केरल राज्य में बनाम। वी. आर. कल्लियानिकुट्टी (1999) 3 एस. सी. सी.

657 , (“ वी. आर. कल्लियानिकुट्टी "), इस न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या एक समय

प्रतिषिद्ध ऋण की वसूली वसूली का सहारा लेकर की जा सकती है। 1968 के केरल राजस्व वसूली अधिनियम के तहत कार्यवाही।

यह कहते हुए कि उक्त अधिनियम एक समय की वसूली तक विस्तारित नहीं हो सकता है

वर्जित ऋण, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 8 में कहा,

" 8. ..... हर मामले में "देय" शब्द का सटीक अर्थ

यह उस संदर्भ पर निर्भर करेगा जिसमें वह शब्द प्रकट होता है। जिग्नेश शाह और एएनआर।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

22. उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केरल राजस्व वसूली अधिनियम, 1968 की धारा 17 (3) में यह स्पष्ट किया गया है कि विरोध के तहत भुगतान करने वाले व्यक्ति को विरोध के तहत उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के पूरे या हिस्से की वापसी के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार होगा। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब इस तरह का मुकदमा दायर करने का अधिकार स्पष्ट रूप से संरक्षित है, तो एक आवश्यक निहितार्थ है कि

एक मुकदमे में एक देनदार के लिए उपलब्ध सीमा भी संरक्षित है, एक के रूप में

जिसके परिणामस्वरूप, "देय राशि" अभिव्यक्ति की एक व्यापक व्याख्या समय-वर्जित ऋणों को शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऋण को नष्ट कर देगी।

लेनदार द्वारा किसी देनदार के खिलाफ मुकदमे में उसके लिए उपलब्ध बचाव, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकता है।

अपीलार्थी भारत संघ बनाम में निहित हैं। उत्तम स्टील्स लिमिटेड (2015) 13 एस. सी. सी. 209. यहाँ सवाल यह था कि क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 बी, जैसा कि 12.05.2000 पर संशोधित किया गया है, लागू होगी। उस मामले में तथ्य स्थिति पर लागू करें। धारा 11-बी ने "छह महीने" को "एक" के साथ प्रतिस्थापित करके सीमा की एक लंबी अवधि प्रदान की।

वर्ष "। चूंकि छूट का आवेदन एक वर्ष की अवधि के भीतर दायर किया गया था, इसलिए प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वे समय के भीतर थे। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 10 में अभिनिर्धारित किया कि प्रक्रिया संबंधी कानून होने के कारण यह सीमा आमतौर पर पूर्वव्यापी प्रकृति की होगी। हालाँकि यह एक परंतुक के साथ जोड़ा गया है, जो यह है कि संशोधित प्रावधान के तहत किया गया दावा स्वयं इस अर्थ में एक मृत दावा नहीं होना चाहिए था कि यह संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले समय-वर्जित था, जिससे इसके साथ सीमा की एक बड़ी अवधि आ गई थी। उस मामले के तथ्यों पर, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि छूट का दावा छह महीने की अवधि से आगे किया गया था, लेकिन एक वर्ष की विस्तारित अवधि के भीतर, ऐसी विस्तारित अवधि उस मामले में प्रतिवादी का लाभ नहीं उठाएगी।

24. एलाइड मोटर्स (पी) लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी., (1997) 3 एस. सी. सी. 472, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि आयकर अधिनियम की धारा 43-बी में किया गया संशोधन पूर्वव्यापी था, जिसमें कहा गया थाः

" 14. .....जैसा कि जी. पी. सिंह ने अपने सिद्धांतों में देखा है

सांविधिक व्याख्या, चौथा संस्करण। पी पर। 291 : " यह अच्छी तरह से व्यवस्थित है। कि यदि कोई क़ानून उपचारात्मक है या केवल पिछले कानून की घोषणात्मक है, तो आम तौर पर पूर्वव्यापी संचालन का इरादा है। वास्तव में यह संशोधन ऐसी स्थिति में अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा जब तक कि इसे पूर्वव्यापी नहीं माना जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. वर्तमान मामले में भी, यह स्पष्ट है कि

धारा 238 ए अपने उद्देश्य को तब तक पूरा नहीं करेगी जब तक कि इसका अर्थ यह न लगाया जाए कि

पूर्वव्यापी होने के कारण, अन्यथा, समय-वर्जित दावों को पुनर्जीवित करने की मांग करने वाले आवेदनों को अनुमति देनी होगी, न कि सीमा के कानून द्वारा शासित।

इसके बाद अदालत ने कहाः

" 38. यह मामला सबसे उपयुक्त है। जैसा कि वर्तमान मामले में, और जैसा कि मार्च, 2018 की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट में परिलक्षित होता है, विधायिका ने एक ऐसे लेनदार को सक्षम करने पर विचार नहीं किया जिसने संहिता के तंत्र के माध्यम से इस तरह के विलंबित दावों की अनुमति देने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करने की अनुमति दी है। इस संहिता को वर्ष 2017 में लागू नहीं किया जा सकता है।

ऐसा ऋण जो मान लीजिए कि 1990 में समय की पाबंदी थी, क्योंकि इससे संहिता का बेतुका और चरम परिणाम होगा एक बासी या मृत दावे द्वारा ट्रिगर किया गया, जिससे कठोर

वर्तमान बोर्ड को तत्काल हटाने का परिणाम

निगमित देनदार के निदेशक स्थायी रूप से, और जो अंततः परिसमापन का कारण बन सकते हैं और इसलिए, निगमित मृत्यु हो सकती है। इस मामले में, संहिता के परिभाषा अनुभागों में "देय ऋण" अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से केवल संदर्भित करेगी।

उन ऋणों के लिए जो कानून में "देय और देय" हैं, अर्थात, ऋण

यह समय की पाबंदी नहीं है।

अंत में, न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 48. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि सीमा अधिनियम संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों पर लागू होता है

संहिता की स्थापना के बाद से, सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 आकर्षित होता है। इसलिए, मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब कोई चूक होती है। यदि चूक आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले हुई है, तो

आवेदन को अनुच्छेद 137 के तहत प्रतिबंधित किया जाएगा

सीमा अधिनियम, उन मामलों को छोड़कर जहां मामले के तथ्यों में, सीमा अधिनियम की धारा 5 को इस तरह के आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने के लिए लागू किया जा सकता है। ”

10. यह निर्णय इस मुद्दे को याचिकाकर्ता के पक्ष में करता है।

ललैंट। संहिता में धारा 238 ए की शुरूआत के साथ, सीमा अधिनियम के प्रावधान इसके तहत किए गए आवेदनों पर लागू होते हैं -

संहिता लागू होने से पहले दायर की गई समापन याचिकाओं में जिग्नेश शाह और ए. एन. आर. हैं।

अब संहिता के तहत दायर याचिकाओं में परिवर्तित कर दिया गया। इसलिए, यह तय किया जाना है कि क्या समापन याचिका, जिस तारीख को दायर की गई थी, समय के अंतराल से वर्जित है। यदि ऐसी याचिका समयबद्ध पाई जाती है, तो संहिता की धारा 238 ए ऐसी समयबद्ध याचिका को नया जीवन नहीं देगी। इस मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि समापन याचिका अगस्त, 2012 से तीन साल से अधिक समय के लिए दायर की गई थी, जब आई. एल. एंड. एफ. एस. के अनुसार, पुनर्भुगतान में चूक हुई थी, यह समय द्वारा वर्जित है।

11. डॉ. सिंघवी ने कई फैसलों पर भरोसा किया जिनमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, जब वसूली के लिए मुकदमे पहले ही दायर किए जा चुके थे। इन निर्णयों में कहा गया है कि इस तरह के मुकदमे के अस्तित्व को या तो सीमा की अवधि को पुनर्जीवित करने या इसे बढ़ाने के रूप में नहीं माना जा सकता है, जहां तक समापन कार्यवाही का संबंध था। इस प्रकार, हरिओम फायरस्टॉक में

सीमित वी। सुंजल इंजीनियरिंग प्रा. कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश, लिमिटेड (1999) 96 कम्पोजिट केस 349 ने समापन याचिका दायर किए जाने से पहले वसूली के लिए मुकदमा दायर किए जाने की तथ्य स्थिति में राय दीः

" 8 ..... मेरे विचार से, इस तर्क में एक भ्रांति है क्योंकि किसी विशेष समय पर ऋण मौजूद है या नहीं, यह पता लगाने के उद्देश्यों के लिए जिस परीक्षण को लागू करने की आवश्यकता है, वह सरल सवाल है कि क्या उस समय उस ऋण के संबंध में दीवानी अदालत के समक्ष सामान्य वसूली कार्यवाही शुरू करने की अनुमति होती। इस परीक्षण और इस तथ्य को लागू करते हुए कि मुकदमा पहले ही दायर किया जा चुका था, सवाल यह है कि क्या उस ऋण को लागू करने के लिए मुकदमे के माध्यम से वसूली कार्यवाही शुरू करने की अनुमति होती। वर्ष 1995 में, और उस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। ऐसा होने पर, मुकदमे के अस्तित्व को या तो सीमा की अवधि को पुनर्जीवित करने या इसे बढ़ाने के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब केवल यह है कि वे कार्यवाही लंबित हैं लेकिन यह पक्ष को उस आधार पर कोई अन्य कार्यवाही शुरू करने का कानूनी अधिकार नहीं देता है। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि सीमा केवल कुछ सीमित स्थितियों में विस्तारित की जाती है और यह आवश्यक नहीं है कि मुकदमे का अस्तित्व उनमें से एक हो। मामले के इस दृष्टिकोण में, दूसरे बिंदु का उत्तर इसके पक्ष में देना होगा -

उत्तरदाताओं और यह अभिनिर्धारित करना होगा कि कोई नहीं था वर्ष 1995 में लागू करने योग्य दावा, जब वर्तमान याचिका शुरू की गई थी। "[2019] 12 एस. सी. आर.

12. इसी तरह, फेरों में पटना उच्च न्यायालय का एकल न्यायाधीश

निगम लिमिटेड बनाम। राजहंस स्टील लिमिटेड (2000) कम्प कैस

ऐसा आयोजित किया गयाः

" 12 ..... मेरी राय में, विवाद में योग्यता का अभाव है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता-कंपनी के ऋण की वसूली के लिए उसके मूल पक्ष के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था, इसलिए मुकदमे की ऐसी संस्था और उस अदालत में इसकी लंबितता वर्तमान समापन कार्यवाही के लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं हो सकती है। ऋण समय की पाबंदी बन गया है

जब यह याचिका इस अदालत में प्रस्तुत की गई थी, तो वही कर सकता था

इस न्यायालय के माध्यम से कानूनी रूप से वसूली योग्य नहीं होगा

कार्यवाही को समाप्त करना क्योंकि वही कानूनी रूप से नहीं हो सकता है

अधिनियम की धारा 520 के तहत साबित किया गया। यह होता

पूरी तरह से एक अलग मामला अगर याचिकाकर्ता-कंपनी

1987 के वाद सं. 1073 में कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक डिक्री प्राप्त करने के बाद विरोधी पक्ष सं. 1 को समाप्त करने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया गया और डिक्री असंतुष्ट रही, जैसा कि धारा 434 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में प्रदान किया गया है। इसलिए, चूंकि याचिकाकर्ता-कंपनी का ऋण समय-वर्जित हो गया है और वर्तमान में इस न्यायालय में कानूनी रूप से साबित नहीं किया जा सकता है

कार्यवाही, विरोधी पक्ष संख्या 1 का समापन नहीं किया जा सकता है

उक्त ऋण का भुगतान न करने के कारण आदेश दिया गया। ”

13. रामेश्वर प्रसाद केजरीवाल एंड संस लिमिटेड बनाम एम/एस।

डाय हार्डवेयर स्टोर (2002) 108 कॉम्प कैस 187, एक मनी सूट

1994 में दायर किया गया वास 1997 में घोषित किया गया था, जिसके बाद एक समापनकंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के तहत 2001 में दायर किया गया था।

तथ्य की स्थिति में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय दियाः

" 13. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि कंपनी की कार्रवाई का कारण 1992 में उत्पन्न हुआ था। मुकदमा 1994 में दायर किया गया था और डिक्री 1997 में प्राप्त की गई थी। लेकिन उक्त ऋण के आधार पर, जिसे

डिक्री में विलय कहा जाता है, समापन याचिका सीमा की अवधि के बाद यानी एक अवधि के बाद दायर नहीं की जा सकती है।

तीन साल से।

14. यह विवाद में नहीं है कि तत्काल मामले में, सीमा की अवधि अवशिष्ट अनुच्छेद के अनुच्छेद 137 द्वारा कवर की जाती है।

सीमा अधिनियम। हरि मोहन दलाई बनाम के मामले में इस न्यायालय की एक विशेष पीठ। परमेश्वर शौ, 56 इंडियन लॉ रिपोर्ट्स, 61 में रिपोर्ट किए गए, ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं कि कैसे अवशेष

लेख का अर्थ लगाया जाना है।

जिग्नेश शाह और एएनआर। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

15. अनुच्छेद 181 के प्रावधानों का निर्माण करते हुए पुराने अधिनियम के तहत अवशिष्ट लेख, मुख्य न्यायाधीश रैंकिन, विशेष अधिनियम के लिए बोलते हुए

पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 181 में विधायिका किसी भी निश्चित प्रकार के मामलों के लिए नहीं बल्कि सभी प्रकार के अज्ञात मामलों के लिए प्रावधान करती है। वह प्रावधान जिसे वह सीमा की अवधि के संबंध में विशिष्ट बनाता है, लेकिन जैसा कि अंतिम रूप से माना जाता है, सामान्य भाषा में और काफी सरलता से मौलिक सिद्धांत को बताना संतोषजनक है कि, किसी विशेष उद्देश्य के लिए

आवेदन, समय उस क्षण से चलना है जिस पर आवेदक

पहले उसे ऐसा करने का अधिकार था।

16. यह न्यायालय उसी सिद्धांत पर चलता है और मानता है कि सीमा की अवधि को 1992 से गिना जाना चाहिए। लेकिन यह मानते हुए कि इसकी गणना 1992 से नहीं की गई है, इसे 1997 से गिना जाना चाहिए। इसलिए, मामले को सभी संभावित कोणों से देखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि जिस तारीख को इसे प्रस्तुत किया जाता है, उस तारीख को तत्काल समापन याचिका पर रोक लगा दी गई है। यह नहीं माना जा सकता है कि याचिका को समाप्त करने के मामले में, सीमा अवधि 12 वर्ष होगी जो

एक डिक्री के निष्पादन के मामलों में मामला हो सकता है।

17. इसलिए, इस समापन याचिका को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन इस मामले के तथ्यों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

14. डॉ. दीपांकर चक्रवर्ती बनाम। इलाहाबाद बैंक और अन्य। 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 8742, तथ्य स्थिति यह थी कि याचिकाकर्ता द्वारा इलाहाबाद बैंक के खिलाफ हर्जाने के लिए कलकत्ता में सिटी कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया था। बैंक ने बदले में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली की धारा 19 के तहत एक कार्यवाही दायर की।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, कलकत्ता के समक्ष 2001 में अधिनियम, 1993। दीवानी मुक़दमे को ऋण वसूली न्यायाधिकरण, कलकत्ता को भी स्थानांतरित कर दिया गया था जहाँ दोनों कार्यवाहियाँ निर्णय के लिए लंबित थीं। इस बीच, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद के रूप में संदर्भित) के तहत " सर्फेसी अधिनियम), दिनांक 3 मार्च, 2016 को एक नोटिस सर्फेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत जारी किया गया था। न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या सरफेसी अधिनियम का आह्वान, सीमा से परे होने के कारण, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 के तहत लंबित कार्यवाही के कारण बचा रहेगा। न्यायालय ने बैंक की याचिका को अस्वीकार करते हुए कहाः

" 22. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 अधिकारिता के बिना किसी न्यायालय में ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए लिए गए समय को हटाने की अनुमति देती है।

ऐसी धारा एक वादी को एक ही वाद प्रस्तुत करने की अनुमति देती है, यदि पहली बार का न्यायालय, अधिकार क्षेत्र के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारणों से किसी वाद को वापस करता है, जो इसे स्वीकार करने में असमर्थ है। वर्तमान मामले में, एक सुरक्षित लेनदार 2002 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए 1993 के अधिनियम की धारा 19 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाही को वापस नहीं ले रहा है। बल्कि सुरक्षित लेनदार आगे बढ़ रहा है,

2002 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए 1993 के अधिनियम के तहत आगे बढ़ने के अपने अधिकार से स्वतंत्र। 2002 के अधिनियम को लागू करने के लिए सुरक्षित लेनदार का यह विकल्प स्वतंत्र है और 1993 के अधिनियम के तहत कार्यवाही के लंबित होने के बावजूद, इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि क्या ऐसी कार्रवाई 2002 के अधिनियम की धारा 36 की आवश्यकता को पूरा करती है या नहीं, जब सुरक्षित लेनदार 2002 के अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत एक उपाय करने का प्रस्ताव कर रहा है। हालांकि, एक सुरक्षित लेनदार, जैसा कि ट्रान्सकोर (उपरोक्त) में आयोजित किया गया है, एक उपाय लेने का हकदार है या

धारा 19 के तहत कार्यवाही सहित अन्य कार्यवाहियों के लंबित होने के बावजूद 2002 के अधिनियम में उपलब्ध उपाय

एक सुरक्षित लेनदार को अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए और जिसके संबंध में ऐसी परिसंपत्ति के प्रतिभूति लेनदार का प्रतिभूति हित है। हालाँकि, आगे बढ़ने का अधिकार सीमा अधिनियम, 1963 में निहित सीमा के प्रावधानों के पालन के अधीन है। इसलिए, सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान 2002 के अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही की ओर आकर्षित हैं। वह कानूनी स्थिति होने के कारण, 5 जुलाई, 2011 को वर्तमान मामले के तथ्यों में 2002 के अधिनियम के प्रावधानों का आह्वान, पक्षकारों के कार्य द्वारा सीमा की अवधि के विस्तार के बिना बनाए नहीं रखा जा सकता है।

XXX XXX XXX

25. इसलिए उठाए गए मुद्दों का जवाब यह कहते हुए दिया जाता है कि बैंक द्वारा कार्यवाही शुरू करने पर 5 जुलाई, 2011 को सीमा कानूनों द्वारा रोक लगा दी गई थी और बैंक द्वारा की गई सभी कार्यवाही के परिणामस्वरूप और जिग्नेश शाह और ए. एन. आर. के तहत नोटिस का पालन किया गया था।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

5 जुलाई, 2011 के 2002 के अधिनियम की धारा 13 (2) को रद्द कर दिया गया है।

इस तरह की सूचना सहित "।

15. इंडो अल्यूसिस इंडस्ट्रीज बनाम। एसेटेक कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) 2009 (110) डी. आर. जे. 384, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने राय दी कि वसूली और समापन कार्यवाही के लिए एक मुकदमा है

सीटी और स्वतंत्र उपचार, निम्नानुसार हैं:

" 12. जहाँ तक इस आपत्ति का संबंध है कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका को बनाए रखने के लिए उसे अयोग्य ठहराते हुए एक मुकदमा दायर किया है, यह अच्छी तरह से तय है कि समापन कार्रवाई करने का अधिकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के तहत वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है।

हालांकि, किसी भी व्यक्ति को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी को बंद करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। राशि की वसूली और कंपनी को बंद करने की कार्रवाई दो पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र उपाय हैं। यह आवश्यक नहीं है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के तहत प्रत्येक याचिका समाप्त हो जाए। बंद करने के क्रम में। आदेश के परिणामों के लिए प्रार्थना करने से पहले जनहित, न्याय और सुविधा जैसे कई आवश्यक कारक विचार में आते हैं। प्रतिवाद की प्रकृति और प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए विवाद की सीमा भी कार्रवाई को समाप्त करने में निर्णय को प्रभावित करती है। साथ ही, कंपनी के खिलाफ वसूली के उपाय की मांग के लिए सीमा जारी है। ये दोनों उपचार वैकल्पिक उपचार नहीं हैं। अक्सर, प्रचुर सावधानी के मामले के रूप में, पक्ष दूसरे को लागू करने से पहले एक उपाय में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करते हैं।

XXX XXX XXX 14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा अपने अधिकार की रक्षा करने और प्रचुर सावधानी बरतने के लिए केवल मुकदमा दायर करना।

निश्चित रूप से समापन याचिका दायर करने पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा या

याचिकाकर्ता को इसे बनाए रखने से रोकें "।

16. राज्य विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ रीजेंट्स में

यॉर्क एट। अल। वी. मैरी टोमानियो 100 एस. सी. टी. 1790 , संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1871 के नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत एक संघीय कार्रवाई को न्यूयॉर्क की तीन सीमाओं के क़ानून के आवेदन से रोक दिया गया था। जिस बात का तर्क दिया गया था वह यह था कि सभी उपाय केवल राज्य द्वारा अस्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए, क्योंकि प्रतिवादी ने [2019] 12 एस. सी. आर. के बोर्ड के फैसले पर हमला करते हुए न्यूयॉर्क राज्य की अदालतों में एक कार्यवाही शुरू की थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक चिरोप्रेक्टर के रूप में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस की छूट नहीं देने के लिए रीजेंट। नवंबर 1975 तक, राज्य की कार्यवाही में अपील की जा रही थी थककर, और प्रत्यर्थी को किसी भी राहत से वंचित किए जाने पर, प्रत्यर्थी ने 25 जून, 1976 को संघीय जिला न्यायालय में एक कार्रवाई शुरू की। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दूसरी कार्रवाई स्पष्ट रूप से सीमा के कानून द्वारा वर्जित थी, जो कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने के तीन साल बाद दायर की गई थी। यह माना गया था कि एक बार सीमा अवधि शुरू होने के बाद, यह नहीं रुका क्योंकि एक अलग और

इस बीच स्वतंत्र उपचार का पीछा किया गया था। न्यायालय ने कहाः

" हालाँकि, कानून की किसी भी धारा में यह प्रावधान नहीं है कि दाखिल करने का समय

कार्रवाई का कारण उस अवधि के दौरान निर्धारित किया जाता है जिसमें एक वादी

कार्रवाई के एक संबंधित, लेकिन स्वतंत्र कारण का पीछा करता है।

17. मार्टिज़ा अलामो में-होर्नेडो बनाम। जुआन कार्लोस पुइग और

जोस पेरेज़-रिया 745 एफ. 3 डी 578, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स, फर्स्ट सर्किट ने मामले के तथ्यों पर निर्णय दिया कि एक अलग और स्वतंत्र कार्रवाई जो अन्यथा सीमा द्वारा वर्जित थी, केवल इसलिए सीमा के भीतर नहीं लाई जा सकती क्योंकि एक पूर्व मुकदमा दायर किया गया था। न्यायालय ने कहाः

“ 4. वादी यह भी सुझाव देती है कि प्रथम दृष्टांत न्यायालय में उसके पूर्व मुकदमे ने किसी तरह सीमाओं के क़ानून को समाप्त कर दिया। यह

सुझाव काल्पनिक है।

5. शुरू में, राज्य उपचारों का समाप्त होना धारा 1983 की कार्रवाई के रखरखाव के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त नहीं है। पैट्सी वी. देखें। बी. डी. रीजेंट्स, 457 यू. एस. 496,516,102 एस. सी. टी. 2557, 73 L.Ed.2d 172 (1982); रोजर्स बनाम। ओकिन, 738 एफ. 2,5 (पहला सिर। 1984)। इस प्रकार, किसी राज्य की शुरुआत और विचाराधीनता कार्यवाही आम तौर पर धारा 1983 के तहत एक समानांतर कार्रवाई के लिए सीमा अवधि को टोल नहीं करती है। देखें, उदाहरण के लिए, रोड्रिगेज-गार्सिया

वी. कागुअस की नगर पालिका, 354 एफ. 3 डी 91,93 (पहला Cir.2004); रामिरेज़ डी अरेलानो बनाम। अल्वारेज़ डी चौडेन्स, 575 एफ 2 डी315,319 (प्रथम सिर। 1978)। वादी अपने दबाव को कम करने का प्रयास करता है यह ध्यान में रखते हुए कि, प्यूर्टो रिको कानून के तहत, सीमाओं के क़ानून को अन्य बातों के अलावा, संबंधित पर मुकदमा करके "बाधित" किया जा सकता है।

दावा करें। पी. आर. लॉज़ एन. टीट। 31 , 5303. एक बार जब अदालती कार्रवाई "एक निश्चित अंत तक आ जाती है", तो "सीमाओं का क़ानून फिर से चलना शुरू हो जाता है"। रोड्रिगेज-ग्रेसिया, 354 एफ. 3 डी 97 पर (आंतरिक उद्धरण चिह्न)

छोड़ दिया गया)।

* 582 . इस सिद्धांत पर वादी की निर्भरता कारण पर आशा को बढ़ाती है। वादी द्वारा वांछित टोलिंग प्रभाव प्राप्त करने के लिए, पहली कार्रवाई में शिकायत को दूसरी कार्रवाई में बताए गए कार्यों के समान कार्रवाई के कारणों का दावा करना चाहिए। आईडी. (आंतरिक उद्धरण चिह्न हटा दिए गए हैं)। 6. समानता की आवश्यकता के तीन पहलू हैं। दोनों कार्रवाइयों को "राहत के एक ही रूप की तलाश करनी चाहिए"; वे "एक ही मूल दावों पर आधारित होने चाहिए"; और उन्हें "समान क्षमताओं में एक ही प्रतिवादी के खिलाफ दावा किया जाना चाहिए"। आईडी. 98 पर। वादी कोई विकसित तर्क नहीं देती है जो यह दिखाने के लिए पर्याप्त हो कि वह इन शर्तों को पूरा करती है।

सभी घटनाओं में, यह आसानी से स्पष्ट है कि वादी ने नहीं किया है

समानता की आवश्यकता को पूरा करें। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में लाई गई पहली कार्रवाई में बहाली और वापस भुगतान के न्यायसंगत उपायों की मांग की गई; दूसरी कार्रवाई, संघीय जिला अदालत में लाई गई, जिसमें क्षतिपूर्ति के कानूनी उपायों की मांग की गई।

और दंडात्मक नुकसान। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दोनों क्रियाएँ "राहत का एक ही रूप" नहीं चाहती थीं।

हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि यह निष्कर्ष कोई नया आधार नहीं तोड़ता है। इस अदालत ने स्पष्ट रूप से और बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि प्यूर्टो रिको कानून के तहत, "केवल न्यायसंगत राहत की मांग करना उन सीमाओं के क़ानून को कम नहीं करता है जहां बाद की शिकायत मांगती है।

नुकसान "। नीव्स-वेगा वी। ऑर्टिज़-क्विनोन्स, 443 एफ. 3 डी 134,137 (पहला सिर। 2006) (मामले एकत्र करना)। समान आवश्यकता के पहले पहलू को पूरा करने में वादी की विफलता को देखते हुए, हमें अन्य दो में पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।

पहलू। प्यूर्टो रिको का कानून स्पष्ट है कि एक वादी जो इस आधार पर सीमाओं के क़ानून के संचालन को बाधित करना चाहता है, उसे समानता की आवश्यकता के सभी तीन पहलुओं को पूरा करना होगा। देखिए, जैसे,

सांताना-कास्त्रो बनाम। टोलेडो-डेविला, 579 एफ. 3 डी 109,116 (पहला सिर। 2009); नीव्स-वेगा, 443 एफ. 3 डी 137-38 पर।

इससे मामले का यह पहलू समाप्त हो जाता है। जब सब कुछ कहा और किया जाता है, तो वादी का खाली बैठने का निर्णय, जबकि प्रथम दृष्टांत न्यायालय में कार्यवाही सामने आती है, एक संघीय दावे का दावा करने के उसके सुस्त प्रयास को विफल कर देता है। हालाँकि राष्ट्रमंडल अदालत के फैसले की प्रतीक्षा ने वादी के इस विश्वास को मजबूत करने का काम किया होगा कि उसकी गोलीबारी अवैध थी, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि वह अवधि जो [2019] 12 एस. सी. आर. हो।

कथित रूप से नौकरी की गलत समाप्ति पर आधारित धारा 1983 के दावे को आगे बढ़ाने की इच्छा एक स्वतंत्र निष्कर्ष की प्रतीक्षा करती है कि उसकी बर्खास्तगी गैरकानूनी थी। नतीजतन, वादी का

प्रथम दृष्टांत न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए चुनाव नहीं होता है

समय के भीतर अपना संघीय दावा लाने में अपनी विफलता को सही ठहराएँ

कानून द्वारा आबंटित "।

18. रे कार्नोस प्रॉपर्टी कं. लिमिटेड (1989) 5 बी. सी. सी. 14, चांसरी डिवीजन (कंपनी अदालत) के एक एड एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि भुगतान न करने के लिए एक कंपनी को बंद करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण की याचिका को सीमा के कानून द्वारा वर्जित किया गया था, जिसे इससे अधिक प्रस्तुत किया जा रहा था।

कार्रवाई का कारण सामने आने के बाद। तथ्य यह है कि दर एन. डी. ई. डी. संकट वारंट का विषय था जो समापन याचिका के लिए सीमा अवधि को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता था। यह था।

एल्डः

" उन शब्दों को याचिका की कार्यवाही में लागू करने से ऐसा लगता है कि कार्यवाही का कारण तब सामने आया जब कंपनी 1 अप्रैल 1981 को नवीनतम दर की मांग का भुगतान करने में विफल रही।

यह याचिका की प्रस्तुति से छह साल पहले की बात है।

क्योंकि यह छह साल से अधिक समय से अवैतनिक दरों पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, दरों का भुगतान न करने के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण याचिका सीमा अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन है। स्थानीय प्राधिकरण के लिए श्री एक्टन ने स्वीकार किया, जैसा कि मैं समझता हूं, कि छह वर्षों के लिए अवैतनिक दरें और कभी भी संकट वारंट का विषय किसी भी तरह से अपरिवर्तनीय था; ताकि स्थानीय प्राधिकरण लेनदार नहीं रह जाए और इस प्रकार याचिका दायर न कर सके। लेकिन, श्री एक्टन ने कहा, एक बार संकट वारंट प्राप्त हो जाने के बाद यह हमेशा निष्पादन के लिए उपलब्ध रहता है और इस प्रकार स्थानीय लोगों को संरक्षित करता है।

एक लेनदार के रूप में अपने चरित्र को अधिकृत करें और हमेशा याचिका दायर करने में सक्षम रहें। मैं इस निवेदन को स्वीकार नहीं करता। यदि कोई यह मानता है कि दोनों

इस मामले में जारी किए गए संकट वारंट स्थानीय प्राधिकरण के लिए उपलब्ध रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि यह इस प्रकार है कि मैंने जिन सीमा अधिनियमों का उल्लेख किया है, उनके प्रावधान याचिका की प्रस्तुति को रोकने के लिए काम नहीं करते हैं। 1939 के अधिनियम (या 1980 के अधिनियम की धारा 9 (1)) की धारा 2 (1) का प्रभाव यह है कि याचिका दायर नहीं की जा सकती है। यदि दरों की मांग के छह साल बीत चुके हैं तो प्रस्तुत किया जाए। इस पद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है यदि

संकट वारंट वर्तमान होता है। याचिका इसलिए नहीं है क्योंकि जिग्नेश शाह और ए. एन. आर.

एक संकट वारंट जारी किया गया है या जारी किया जा सकता है लेकिन क्योंकि एक स्थानीय प्राधिकरण एक "लेनदार" है क्योंकि उस शब्द का उपयोग किया गया है और किया गया है

कंपनी अधिनियम (नॉर्थ बक्स मामला देखें)।

दुख और याचिका के माध्यम से उपचार अलग हैं और

विशिष्ट "।

19. उपरोक्त निर्णयों में सही कहा गया है कि कार्रवाई के कारण के आधार पर वसूली के लिए एक मुकदमा जो सीमा के भीतर है, नहीं हो सकता है।

किसी भी तरह से समापन कार्यवाही के अलग और स्वतंत्र उपचार को प्रभावित करता है। कानून में, जब समय चलना शुरू होता है, तो इसे केवल सीमा अधिनियम में दिए गए तरीके से बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक

20. हालाँकि, श्री कौल ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया। मेसर्सः भीमजी नानजी एंड कंपनी (1969) Mh.L.J. 827। वह मामला प्रेसीडेंसी-टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट, 1909 के तहत उत्पन्न हुआ, जो सवाल उठाया गया वह इस प्रकार थाः

" 4. क्या वह ऋण जिसके आधार पर न्यायनिर्णयन के लिए याचिका प्रस्तुत की जाती है और न्यायनिर्णयन आदेश की मांग की जाती है, याचिका की सुनवाई की तारीख पर एक निर्वाह ऋण होना चाहिए या क्या यह पर्याप्त है कि यह याचिका की सुनवाई की तारीख पर अस्तित्व में रहा।

याचिका की प्रस्तुति? "

प्रेसीडेंसी-टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 की धारा 13 में निर्धारित किया गया है कि अदालत के समक्ष याचिका की सुनवाई में एक याचिका-लेनदार द्वारा किन कारकों को साबित करने की आवश्यकता है। उक्त अधिनियम की धारा 13 (2), जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए थी, नीचे दी गई हैः

" सुनवाई में न्यायालय को सबूत की आवश्यकता होगी -

(क) याचिका दायर करने वाले लेनदार का ऋण, और
(ख) दिवाला का कार्य या, यदि याचिका में दिवाला के एक से अधिक कार्य का आरोप लगाया गया है, तो दिवाला के कुछ कथित कार्य।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी जिस पर भरोसा किया जाता है

श्री कौल की रचना पैराग्राफ 9 में निहित है, जो नीचे दी गई है:

" 9. श्री शाह ने आग्रह किया कि यदि इस दृष्टिकोण को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे लेनदार को बड़ी कठिनाई होगी। एक बार एक लेनदार द्वारा दिवालिया याचिका प्रस्तुत किए जाने के बाद, वह आम तौर पर उम्मीद करता है कि उसकी याचिका की सुनवाई में निर्णय आदेश पारित किया जाएगा और केवल इसलिए कि याचिका की सुनवाई में उसकी ओर से किसी भी चूक के कारण देरी नहीं होती है, बल्कि यह कहता है कि अदालत के काम की आवश्यकताओं के कारण लेनदार को उस भाग्य का सामना करना होगा जिसके बारे में उसने सोचा या विचार नहीं किया होगा, अगर इस बीच ऋण सीमा से बाधित हो जाता है। जैसा कि श्री शाह ने सुझाव दिया है, मुझे लेनदार के लिए कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि यह लेनदार के लिए खुला होगा या यह उसका कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि वह या तो एक पावती या आंशिक भुगतान के माध्यम से या सीमा की अवधि के भीतर एक उचित अदालत में एक मुकदमा दायर करके ऋण को जीवित रखे, लेकिन मेरे विचार से, यह स्पष्ट है कि बिना किसी सीमा के दिवालिया याचिका का केवल लंबित होना।

इससे अधिक कुछ भी सीमा को बचाने का प्रभाव नहीं डाल सकता है

भारतीय सीमा अधिनियम द्वारा विहित "।

जिस संदर्भ में विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक

यह अवलोकन कि सीमा के भीतर मुकदमा दायर करने से ऋण जीवित रहेगा, प्रेसीडेंसी-टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 की धारा 13 के संदर्भ में है-जिसके लिए आवश्यक है कि याचिका दायर करने वाले लेनदार का ऋण दिवाला याचिका की सुनवाई में भी जीवित होना चाहिए। जाहिर है, अगर याचिका की सुनवाई में, ऋण समयबद्ध था, तो संबंधित व्यक्ति की दिवालियापन का कठोर परिणाम नहीं होगा। यह इस संदर्भ में है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि दिवालिया याचिका की सुनवाई की तारीख पर एक ऋण मौजूद होगा यदि सीमा की अवधि के भीतर इसे वसूल करने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था। प्रेसीडेंसी-टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 की धारा 13 का संदर्भ वर्तमान संदर्भ से बहुत अलग है, जिसमें यह देखा जाना चाहिए कि क्या एक समापन कार्यवाही प्रदान की गई सीमा अवधि के भीतर दायर की गई है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, समापन याचिका की सुनवाई में जीवित ऋण के निर्वाह के बारे में कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए यह मामला पूरी तरह से अलग है।

21. श्री कौल ने तब आम तौर पर सीमा कानूनों के लिए तर्क पर दृढ़ता से भरोसा किया, जो राजेंद्र सिंह और अन्य में निर्धारित किया गया था।

वी. सांता सिंह और ओआरएस। (1973) 2 एस. सी. सी. 705 इस प्रकार है:

जिग्नेश शाह और एएनआर। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 17. सीमा के कानूनों में अंतर्निहित नीति, जिसे "आराम" या "शांति" के कानूनों के रूप में कहा जाता है, इस प्रकार हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड खंड में कहा गया है। 24 , पी। 181 (पैरा 330): " 330. सीमा अधिनियमों की नीति। अदालतों ने व्यक्त किया है

के अस्तित्व का समर्थन करने वाले कम से कम तीन अलग-अलग कारण

सीमाक कानून, अर्थात्ः (1) कि लंबे समय से निष्क्रिय दावों में न्याय की तुलना में क्रूरता अधिक होती है, (2) कि एक प्रतिवादी ने एक पुराने दावे को गलत साबित करने के लिए सबूत खो दिया होगा, और (3) कि कार्यों के अच्छे कारणों वाले व्यक्तियों को उचित परिश्रम के साथ उनका पीछा करना चाहिए।

18. सीमा कानून का उद्देश्य लंबे समय तक आनंद लेने से समानता और न्याय में जो हासिल किया जा सकता है या जो एक व्यक्ति द्वारा खो दिया जा सकता है, उसकी गड़बड़ी या वंचितता को रोकना है।

पार्टी की अपनी निष्क्रियता, लापरवाही या लापरवाही "।

ये टिप्पणियां वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में उपयुक्त हैं। यह स्पष्ट है कि आई. एल. एंड. एफ. एस. ने उचित तरीके से पीछा किया

पत्र के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए ला-फिन के खिलाफ मुकदमा दायर करके अगस्त, 2012 में उत्पन्न हुई कार्रवाई के कारण का ध्यान रखना।

जून, 2013 में उपक्रम। उपरोक्त पक्ष की अपनी निष्क्रियता या खामियों से जो खो गया है, वह है उपरोक्त याचिका दायर करने के लिए ट्रिगर होने के लंबे समय बाद समापन याचिका दायर करना; ट्रिगर वह ऋण है जो आई. एल. एंड. एफ. एस. के कारण बन गया, जिसके पुनर्भुगतान में चूक हुई है।

22. इस स्तर पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) और धारा 434 को निर्धारित करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैः

" 433. ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें कंपनी बंद हो सकती है

न्यायाधिकरण द्वारा। - न्यायाधिकरण द्वारा किसी कंपनी को समाप्त किया जा सकता है, XXX XXX XXX

(ई) यदि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है;

" 434. कंपनी जब अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ मानी जाती है। - (1) एक कंपनी को अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ माना जाएगा।

(क) यदि कोई लेनदार, असाइनमेंट द्वारा या अन्यथा, जिस पर कंपनी का एक लाख रुपये से अधिक का बकाया है, ने कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में वितरित करके, पंजीकृत डाक द्वारा या

अन्यथा, उनके हाथ के नीचे एक मांग के लिए कंपनी [2019] 12 एस. सी. आर.
की आवश्यकता थी।

देय राशि का भुगतान करने के लिए और कंपनी के पास तीन हैं इसके बाद के हफ्तों में राशि का भुगतान करने, या लेनदार की उचित संतुष्टि के लिए इसके लिए सुरक्षित या चक्रवृद्धि करने की उपेक्षा की गई;

((ख) यदि किसी डिक्री या आदेश पर निष्पादन या अन्य प्रक्रिया जारी की जाती है, यदि कोई न्यायालय या न्यायाधिकरण कंपनी के लेनदार के पक्ष में है।

पूर्ण या आंशिक रूप से असंतुष्ट लौटाया जाता है; या

(ग) यदि न्यायाधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो जाता है कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, तो न्यायाधिकरण निर्णय लेगा।

आकस्मिक और संभावित देनदारियों को ध्यान में रखते हुए

कंपनी।

(2) उप-धारा (1) के खंड (ए) में निर्दिष्ट मांग को लेनदार के हाथ से विधिवत दिया गया माना जाएगा यदि उस पर उसकी ओर से विधिवत अधिकृत किसी एजेंट या कानूनी सलाहकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, या किसी फर्म के मामले में यदि उस पर ऐसे किसी एजेंट या कानूनी सलाहकार या फर्म के किसी सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

उसके ऋण, और वह धारा 434 एक डीमिंग प्रावधान है जो तीन स्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें एक कंपनी को "करने में असमर्थ" माना जाएगा धारा 433 (ई) के तहत अपने ऋणों का भुगतान करें। पहली स्थिति में, यदि उस लेनदार द्वारा कोई मांग की जाती है जिसके लिए कंपनी एक राशि में ऋणी है।

एक लाख से अधिक तब देय, जिसके लिए कंपनी को राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है

देय, और कंपनी के पास इसके बाद तीन सप्ताह के लिए "राशि का भुगतान करने की उपेक्षा", या लेनदार की उचित संतुष्टि के लिए इसके लिए सुरक्षित या चक्रवृद्धि करने के लिए है। भुगतान करने में लापरवाही केवल देय राशि का भुगतान करने में चूक पर उत्पन्न होगी, जो स्पष्ट रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर एक निश्चित तिथि होगी। समान रूप से दूसरी स्थिति में, यदि निष्पादन या अन्य प्रक्रिया कंपनी के लेनदार के पक्ष में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के डिक्री या आदेश पर जारी की जाती है, और पूरी तरह से या आंशिक रूप से असंतुष्ट रूप से वापस की जाती है, तो देनदार कंपनी की ओर से चूक होती है। यह स्पष्ट रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर एक निश्चित तिथि है। और तीसरी स्थिति में, यह साबित करना आवश्यक है कि "की संतुष्टि

न्यायाधिकरण "कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है। यहाँ फिर से, ट्रिगर पॉइंट वह तारीख है जिस पर डिफ़ॉल्ट किया जाता है, जिसके कारण कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है। यह फिर से एक निश्चित तिथि है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर साबित किया जा सकता है। इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 के साथ पठित धारा 433 (ई) से पता चलेगा कि

एक समापन जिग्नेश शाह और ए. एन. आर. दाखिल करने के लिए सीमा के उद्देश्य के लिए ट्रिगर बिंदु।

धारा 433 (ई) के तहत याचिका भुगतान में चूक की तारीख होगी।

धारा 434 में उल्लिखित तीन स्थितियों में से किसी में भी ऋण।

1956. उन्होंने मेसर्स मधुसूदन गोरधनदास एंड कंपनी पर भरोसा किया। मधु वूलन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड (1971) 3 एस. सी. सी. 632, जिसमें धारा 433 (ई) के तहत दायर एक समापन याचिका के मामले में, उच्च न्यायालय ने कंपनी को कंपनी के लेनदारों के रूप में बंद करने के अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया था। वर्तमान मामले के विपरीत, उसमें अपीलार्थी ने ऋण का भुगतान करने में असमर्थता के किसी भी अनुमान को उठाने के लिए कोई वैधानिक सूचना नहीं दी। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहाः

" 20. दो नियम अच्छी तरह से तय किए गए हैं। पहला, यदि ऋण वास्तविक रूप से विवादित है और बचाव एक बड़ा मुद्दा है, तो अदालत कंपनी को बंद नहीं करेगी। अदालत ने बंद करने के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें लेनदार ने कंपनी को बेचे गए सामान के लिए राशि का दावा किया था और कंपनी ने तर्क दिया था कि किसी भी कीमत पर सहमति नहीं हुई थी और लेनदार द्वारा मांगी गई राशि थी

अनुचित है। (लंदन और पेरिस बैंकिंग निगम देखें।

[(1874) एल. आर. 19 ई. क्यू. 444]) एक बार फिर, एक लेनदार द्वारा बंद करने के लिए एक याचिका, जिसने कंपनी के लिए किए गए काम के लिए एक सहमत राशि के भुगतान का दावा किया, जब कंपनी ने तर्क दिया कि काम को ठीक से नहीं किया गया था। (रे देखें। ब्राइटन क्लब और

हॉरफोल्ड होटल कंपनी लिमिटेड [(1865) 35 बेव 204])

21. जहां ऋण निर्विवाद है, अदालत इस बचाव पर कार्रवाई नहीं करेगी कि कंपनी के पास ऋण का भुगतान करने की क्षमता है, लेकिन कंपनी उस विशेष ऋण का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुनती है। एक कंपनी। [94 एस. जे. 369] हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी ऋणदाता को एक ऋण देती है जो उसे समापन आदेश का हकदार बनाती है, लेकिन ऋण की सटीक राशि विवादित है, अदालत ऋणदाता को ऋण की सटीक मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता के बिना समापन आदेश देगी री ट्वीड्स गैरेज लिमिटेड देखें। [1962 सीएच 406] जिन सिद्धांतों पर अदालत कार्य करती है, वे पहले हैं कि कंपनी का बचाव अच्छे विश्वास में है और एक सार है, दूसरा, बचाव पक्ष के कानून के बिंदु पर सफल होने की संभावना है और तीसरा कंपनी प्रथम दृष्टया तथ्यों का प्रमाण प्रस्तुत करती है।

जो रक्षा पर निर्भर करता है।

न्यायालय ने तब कहा कि चूंकि समापन आदेश देना विवेकाधीन है, इसलिए न्यायालय आम तौर पर सभी की इच्छाओं पर विचार करेगा।

लेनदार, और अगर वे कंपनी को बंद करने का विरोध करते हैं, तो अदालत [2019] 12 एस. सी. आर.

अपने विवेकाधिकार पर, ऐसे आदेश को अस्वीकार कर सकता है। श्री कौल ने जिस पर दृढ़ता से भरोसा किया था, वह अनुच्छेद 29 था, जिसमें न्यायालय ने कहा थाः

" 29 ..... यह निर्धारित करने में कि कंपनी का आधार गया है या नहीं, कंपनी के उद्देश्यों और उस प्रश्न पर कंपनी के मामले पर गौर करना होगा। वर्तमान मामले में कंपनी ने आरोप लगाया कि बिक्री से प्राप्त आय के साथ कंपनी किसी अन्य लाभदायक व्यवसाय में प्रवेश करने का इरादा रखती है। केवल यह तथ्य कि कंपनी को व्यापारिक नुकसान उठाना पड़ा है, उसके आधार को तब तक नष्ट नहीं करेगा जब तक कि भविष्य में उसके कभी लाभ कमाने की कोई उचित संभावना नहीं है, और अदालत यह मानने के लिए अनिच्छुक है कि उसकी ऐसी कोई संभावना नहीं है। (री सबअर्बन होटल कंपनी [(1867) 2 सीएच ऐप 737] और डेविस एंड कंपनी v. देखें। ब्रंसविक (ऑस्ट्रेलिया) लिमिटेड [(1936) 1 एईआर 299])। कम्पनी व्यवसायक उद्देश्यकँ नहि छोड़ि अछि। ऐसा कोई आरोप नहीं है या

सबूत। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह नहीं माना जा सकता है कि कंपनी का आधार समाप्त हो गया है। न ही इसे वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में रखा जा सकता है।

कि कंपनी अपने किसी भी स्वीकृत लेनदार के बकाया को पूरा करने में असमर्थ है। कंपनी ने अपीलार्थियों के विवादित दावों को अदालत में जमा कर दिया है। कम्पनी अपन व्यवसाय बन्द नहि कयलक अछि। इसलिए, कंपनी बकाया राशि की पूर्ति तब करेगी जब वह देय होगी। कंपनी के पास उचित है

व्यापार और संसाधनों की संभावना "।

24. श्री कौल के अनुसार, उनके मुवक्किल के लिए उस तारीख तक समापन याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना संभव नहीं था

जिसे उन्होंने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया, क्योंकि ला-फिन (यानी कंपनी को समाप्त करने की मांग की गई थी), यह नहीं कहा जा सकता था कि उसने अपना अधिकार खो दिया था।

25. यह निर्णय श्री कौल के तर्क को आगे नहीं ले जाता है। परिसमापन याचिका में कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया है कि कंपनी ने मांग की थी इस अर्थ में कि भविष्य में लाभ कमाने की कोई उचित संभावना नहीं है और न ही यह कहा जा सकता है कि कंपनी ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया था और इसलिए वह अपने बकाया को पूरा करने में असमर्थ है। दूसरी ओर, इस निर्णय (और विशेष रूप से पैराग्राफ 21) से जो सामने आता है, वह यह है कि किसी कंपनी के लिए यह कहना खुला नहीं है कि ऋण निर्विवाद है, वह है जिग्नेश शाह और ए. एन. आर.।

यह ऋण चुकाने की क्षमता रखता है, लेकिन ऋण का भुगतान नहीं करेगा। समान रूप से, जहां ऋण स्पष्ट रूप से बकाया है, लेकिन ऋण की सटीक राशि विवादित है, कंपनी को अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ माना जाएगा। प्रत्येक मामले में यह देखना होगा कि क्या ऋण वास्तविक रूप से विवादित है। यदि ऐसा है, तो बिना अधिक के, एक समापन याचिका खारिज कर दी जाएगी। इस स्तर पर एक और बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सीमा के लिए ट्रिगर एक कंपनी की अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता है। निस्संदेह, यह ट्रिगर तब होता है जब कोई चूक होती है, जिसके बाद ऋण बकाया रहता है और उसका भुगतान नहीं किया जाता है। यह केवल यही तारीख है जो समापन याचिका दायर करने के लिए सीमा को ट्रिगर करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है। हालांकि यह स्पष्ट है कि समापन की कार्यवाही एक 'इन रेम' कार्यवाही है और वसूली की कार्यवाही नहीं है, लेकिन जहां तक समापन याचिका का संबंध है, सीमा का कारण चूक की तारीख होगी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 (1) (सी) के तहत आने वाले मामलों में वाणिज्यिक शोधन क्षमता के बारे में सवाल उठते हैं, जहां ऋण को पहले साबित किया जाना है, जिसके बाद न्यायालय अन्य लेनदारों की इच्छाओं और समग्र रूप से कंपनी की वाणिज्यिक शोधन क्षमता पर विचार करेगा। इसलिए जिस स्तर पर न्यायालय यह जांच करता है कि क्या कंपनी व्यावसायिक रूप से दिवालिया है, वह योग्यता के आधार पर प्रवेश के लिए समापन याचिका पर सुनवाई शुरू करने के बाद है। सीमा संलग्न करती है जहाँ तक धारा 433 (ई) के तहत दायर याचिकाओं का संबंध उस स्तर पर है जब चूक होती है, इस स्तर पर ऋण देय हो जाता है। इस कारण से, श्री कौल की इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि सीमा के उद्देश्यों के लिए कार्रवाई के कारण में वाणिज्यिक दिवालियापन या कंपनी के आधार का नुकसान शामिल होगा।

26. श्री कौल द्वारा निर्दिष्ट और भरोसा किया गया अगला निर्णय यू. पी. का प्रदेशिया औद्योगिक और निवेश निगम है।

नॉर्थ इंडिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और एएनआर। (1994) 3 एससीसी348। इस मामले में यह पाया गया कि डालमिया इंडस्ट्रीज ने मध्यस्थता का सहारा लिया था

कार्यवाही, जिसमें दावा की गई राशि पर एक बड़ा विवाद उठाया गया था। श्री कौल द्वारा दृढ़ता से जिस अंश पर भरोसा किया गया था, वह नीचे दिया गया हैः

" 27. फिर असमर्थता क्या है जब धारा कहती है कि "अपने बकाया का भुगतान करने में असमर्थ"? इसे व्यावसायिक अर्थ में लिया जाना चाहिए। इसमें, यह वर्तमान मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। जैसा कि विलियम जेम्स, वी. सी. ने कहा है कि यह "स्पष्ट रूप से और व्यावसायिक रूप से दिवालिया है।

कि इसकी परिसंपत्तियाँ ऐसी हैं, और इसकी मौजूदा देनदारियाँ ऐसी हैं, जिससे यह उचित रूप से सुनिश्चित हो सके कि न्यायालय संतुष्ट महसूस करे-कि मौजूदा और संभावित परिसंपत्तियाँ [2019] 12 एस. सी. आर. के लिए अपर्याप्त होंगी।

मौजूदा देनदारियों को पूरा करें। (यूरोपियन लाइफ एस्योरेंस सोसाइटी में, री [एलआर (1869) 9 ईक्यू 122]; वी. वी. कृष्णा अय्यर एंड संस बनाम नए युग एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड [(1965) 35 कं. कैस 410: (1965) 1

कम्प एलजे179 (केर)] "

यह मार्ग कंपनी अधिनियम, 1956 के 433 (ई) के तहत एक आदेश के विवेकाधीन होने के संदर्भ में है, जिसका उल्लेख कंपनी अधिनियम, 1956 में किया गया है।

पूर्ववर्ती पैरा 25। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वाणिज्यिक दिवालियापन के बारे में तथ्यों का अनुरोध किया जाना चाहिए और समापन याचिका के प्रवेश चरण में साबित किया जाना चाहिए; सीमा उद्देश्यों के लिए समापन कार्यवाही के लिए ट्रिगर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, चूक की तारीख है।

27. श्री कौल ने तब मेडिकिप सिस्टम्स (पी) लिमिटेड पर भरोसा किया।

प्रॉक्सिमा मेडिकल सिस्टम जी. एम. बी. एच. (2005) 7 एस. सी. सी. 42 और विशेष रूप से, पैराग्राफ 18 और 23, जो निम्नानुसार बताते हैंः

" 18. इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि कंपनी अधिनियम की धारा 433 (ई) के तहत एक आदेश विवेकाधीन है। ऋण बकाया होना चाहिए और कंपनी को इसका भुगतान करने में असमर्थ होना चाहिए। इस धारा के तहत एक ऋण तुरंत या भविष्य की तारीख में देय धन की एक निर्धारित या एक निश्चित राशि होनी चाहिए और कंपनी अधिनियम की धारा 433 (ई) में "अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ" अभिव्यक्ति में निर्दिष्ट अक्षमता को वाणिज्यिक अर्थ में लिया जाना चाहिए और यह कि बंद करने के लिए तंत्र केवल प्राप्ति के
साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

किसी कंपनी से देय ऋण।

XXX XXX XXX

23. बंबई उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्धारित किया हैः

सॉफ्टसुल (पी) लिमिटेड में सिद्धांत, री [(1977) 47 कॉम्प कैस 438

और ऑर्डर करें।
दूसरा, यदि ऋण वास्तविक रूप से विवादित है, तो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (1) (ए) के अर्थ के भीतर "भुगतान करने में उपेक्षा" नहीं की जा सकती है। यदि कोई उपेक्षा नहीं है, तो डीमिंग प्रावधान जिग्नेश शाह और ए. एन. आर।

यह लागू नहीं होता है और इस आधार पर समापन कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, प्रमाणित नहीं है।

तीसरा, भुगतान करने के लिए देयता के बारे में एक ऋण जो दिवाला सूचना की सेवा के समय, एक प्रामाणिक विवाद है, धारा 434 (1) (ए) के अर्थ के भीतर "देय" नहीं है और ऐसे प्रामाणिक विवादित ऋण की राशि का भुगतान न करने को उसी का भुगतान करने में "उपेक्षा" नहीं कहा जा सकता है ताकि धारा 433 (ई) के तहत दायित्व को वहन किया जा सके जिसे धारा 434 (1) (ए) के साथ पढ़ा जाए।

कंपनी अधिनियम, 1956।

चौथा, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या

कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम है या नहीं

अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है जब वे जमा होती हैं

कंपनी देय है।

चाहे वह व्यावसायिक रूप से विलायक हो, इसका मतलब है कि कंपनी

अपनी देनदारियों को पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए जब भी वे

उठें "।

28. उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 23 में संदर्भित बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले में दायर याचिकाओं को समाप्त करने पर कानून बताया गया है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ए) के तहत सही ढंग से। प्राथमिक परीक्षण पैराग्राफ 1 में निर्धारित किया गया है, जो यह है कि एक समापन याचिका एक ऋण के भुगतान को लागू करने की मांग करने का एक वैध साधन नहीं है जो कंपनी द्वारा प्रामाणिक रूप से विवादित है। इस तरह के विवाद के बिना, याचिका को स्वीकार किया जा सकता है। समान रूप से, जहां ऋण प्रामाणिक रूप से विवादित है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 (1) (ए) के अर्थ के भीतर 'भुगतान करने में उपेक्षा' नहीं की जा सकती है ताकि डीमिंग प्रावधान तब लागू न हो। इसके अलावा, जिस क्षण एक प्रामाणिक विवाद होता है, तब ऋण 'देय' नहीं होता है। उच्च न्यायालय यह भी सही ढंग से समझता है कि क्या कंपनी व्यावसायिक रूप से विलायक है, यह क्रम में विचार करने में से एक है।

यह निर्धारित करने के लिए कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम है या नहीं।

29. यहां तक कि इस मामले के तथ्यों पर, समापन याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी कंपनी को अल्टीमेटम इस बात पर जोर देता है कि

प्रत्यर्थी कंपनी कानूनी रूप से 7 जनवरी, 2013 को दिए गए वचन पत्र की शर्तों के अनुसार आवश्यक शेयर खरीदने के लिए बाध्य थी। इस तारीख तक, धारा 433 (ई) के तहत याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण निश्चित रूप से सामने आया। इसके अलावा, जैसा कि डॉ. सिंघवी ने सही बताया है, 3 नवंबर, 2015 को दिए गए वैधानिक नोटिस में ला-फिन की वाणिज्यिक दिवालियापन के बारे में किसी भी

तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है। वैधानिक सूचना केवल वाद [2019] 12 एस. सी. आर. को संदर्भित करती है।

ई. ओ. डब्ल्यू. द्वारा कार्यवाही और कुर्की जो बहुत पहले दिसंबर 2013 में हुई थी। वास्तव में, इसलिए, श्री कौल द्वारा हमारे सामने तर्क दिए गए कानूनी तर्कों का कोई आधार नहीं है।

30. परिसमापन याचिका में ही ला-फिन की परिसंपत्तियों में अक्टूबर, 2016 तक लगभग 200 करोड़ रुपये की गिरावट का उल्लेख किया गया है, जो फिर से 3 नवंबर, 2015 से संबंधित नहीं है, जिस तारीख को वैधानिक नोटिस जारी किया गया था। यह फिर से केवल अदालत के एक अधिकारी को आधिकारिक परिसमापक के रूप में नियुक्त करने के उद्देश्य से है ताकि दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन किया जा सके और अन्यथा प्रतिवादी कंपनी की संपत्तियों को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके।

याचिका में ऐसा कोई कथन नहीं है कि इन या अन्य तथ्यों के कारण कंपनी का आधार गायब हो गया है, या यह कि कंपनी अन्यथा व्यावसायिक रूप से दिवालिया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि तथ्यों पर भी, कंपनी का आधार गायब होने या कंपनी की वाणिज्यिक दिवालियापन का अनुरोध नहीं किया गया है। जबकि फॉर्म-1 में,

एन. सी. एल. टी. को समापन कार्यवाही के हस्तांतरण पर, जो सही कहा गया है वह यह है कि चूक की तारीख 19 अगस्त, 2012 है; यह स्पष्ट करते हुए कि उस तारीख से तीन साल बहुत पहले बीत चुके थे जब

धारा 433 (ई) के तहत समापन याचिका 21 अक्टूबर, 2016 को दायर की गई थी।

31. इसलिए हम सिविल अपील (2019 की डायरी संख्या 16,521) की अनुमति देते हैं और 2019 की रिट याचिका (सिविल) का यह मानते हुए निपटारा करते हैं कि 21 अक्टूबर, 2016 को दायर की गई समापन याचिका सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 में उल्लिखित तीन साल की अवधि से परे है और इसलिए इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तदनुसार, एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित फैसले और एन. सी. एल. टी. के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।

एसएलपी (सी) (2019 की डायरी No.13468) और टी. पी. (C) 2019 का No.817

32. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विशेष अनुमति याचिका (2019 की डायरी No.13468) और स्थानांतरण याचिका (सिविल) के रूप में कुछ भी नहीं बचा है।

2019 के No.817 का संबंध है, और तदनुसार उन्हें निष्फल होने के रूप में निपटाया जाता है।

माम

लों का निपटारा किया गया।

निधि जैन